

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 131] No. 131] दिल्ली, बृहस्पतिबार, अगस्त 21, 2008/श्रावण 30, 1930

[रा.रा.स.क्षे.दि. सं. 145

DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2008/SRAVANA 30, 1930

IN.C.T.D. No. 145

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 21 अगस्त, 2008

सं. फा. 8/6/सीओटी/सीएफडी/2008-09/1023-30.—जबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक समझती हैं,

अब, इसलिए दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा दिल्ली जल बोर्ड कौगूलेशन और फिल्ट्रेशन सिस्टम चन्द्रावल वाटर वर्क्स नं. 1 प्रस्तावित 1.6808 हैक्टेयर क्षेत्र को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है जिसमें 63 वृक्षों का गिराया जाना तथा 29 वृक्षों का प्रत्यारोपण सम्मिलत हैं।

यह खूट वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अधीन निर्मित नियमावली के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड कौगूलेशन और फिल्ट्रेशन सिस्टम चन्द्रावल बाटर वक्स नं. 920 वृक्ष लगाये जाने तथा प्रतिभृति जमा के भुगतान के अनुसार है। दिल्ली जल बोर्ड यह सुनिश्चित करे कि पेड़ों से काटे जाने से प्राप्त की गई लकड़ी को दिल्ली नगर नियम मुर्दाधाट के सम्बन्धित अधिकारियों को दे दी गई है।

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जे. के. दादू, सविव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2008

No. F. 8(6)/COT/CFD/2008-09/1023-30.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary so to do in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of 1.6808 Ha proposed for construction of coagulation and filtration system at Chandrawal Water Works-I, by Delhi Jal Board from the provisions of sub-section (3) of Section 9 of the said Act, involved in felling of 63 trees and transplanting of 29 trees.

The exemption is subject to the payment of security deposit and raising of 920 trees by Delhi Jal Board of Coagulation and Filtration System at Chandrawal Water Works-I, in accordance with rules made under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994. Delhi Jal Board would also ensure that the wood so obtained upon felling of trees is handed over to the concerned officials of MCD for its use in public crematoria in Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, J. K. DADOO, Seey.

frigall pribidge

FEMALES 17

HIT HE HE IN

A STANSBURY OF A

recognition of the state of the

1154 37

HELDIN

En college in the final

गृह पुलिस-1/स्थापना विभाग वार्या का अधिसूचना दिल्ली, 21 अगस्त, 2008

सं. फा. 13/13/2003-गृह पुलिस-1/स्था./1977.— गृह पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ले के उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा मर्ती) (संशोधन) नियमावली, 1989 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :--

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंम -- (1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जाए।
 - (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. नियम 17 ख में संशोधन :- दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 1989 के नियम 17-ख जो संप्रेषण संवर्ग में भर्ती नियमावली से संबंधित हैं के खंड (iv) में :--
- 'पदनाम' से संबंधित कॉलम 1 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, (क) ासासक से मा । वर fired, ugrafigar, areas 11, 2000/snaut ap. 4920 -

हा। अर ता. Э. श. सहायक बायरलैस आपरेटर / टेली ब्रिंटर आपरेटर (एच सी) का गाउँ वास

"पदों की संख्या" से संबंधित कॉलम 2 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया (理) जायेंगा, अर्थात :--गर्दाय गरायाची गर्य क्षेत्र, विल्ली माजतर

"1444 (2008)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है"

ne un aco sont former "वर्गीकरण" से संबंधित कॉलम 3 में प्रविद्धि के लिए निम्नलिखित प्रविद्धि को प्रतिस्थापित किया (4) जायेगा, अर्थात् :--SONIE STATE OF THESE

"समूह 'ग' (अराजपत्रित)(तकनीकी)":

"वेतनमान" रो संबंधित कॉलम 4 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया (国) जायेगा, अर्थात् ना क्षेत्रक व्यक्त है विका कार हो से किएए के 21) होत्रक के साम है। सम्मानिक कार के पूर्व DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

"3200−85:-4900 ∕ −रुपये", अञ्चलका अध्यानमा प्राप्तिक होता. का प्राप्तिक स्थाप अध्यान का अध्यान अध्य

- m and the contribute are less than the first of all the party in the property of "पदों की संख्या" से संबंधित कॉलम 5 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया (3) जायेगा, अर्थात् :-sepone page at the
- A STATE WELL BY THE BEST OF THE PARTY OF THE "(i) "गैर चथन" यदि पदोन्नति द्वारा पद भरा जाये, तथा
 - (ii) "लाग्। नहीं। जब पद/सीधी मर्ती द्वारा भरा जाये"; । ३० १८ ३४ ३४ ३ ३०
- "क्या कें0 सि0 से0 (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ क अविकास के साम के सम्बंधित कॉलम 6 में प्रविष्टि के लिये निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :— 1906 - अर्थातः सुवादमञ्जयोगानी इत्तरात एट स्वार्ट्य स्वर्गनेत्रात्रीका स्टब्स्स्य और त. विस्तरात वाजन

(a) में सीबी भर्ती के लिये आयु सीमा से संबंधित कॉलम 7 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को बाजरा अर्थन 🤝 ः प्रतिस्थापितं कियां जायेगाः अर्थात्र 📖 ाजा विकासिकः 🕡 🕬 wood of the self-base is his

nets the Content of the Strict Challed Persion of Dolle breets exemple an arm of 1 6808. He proposed for construction of manned and distribution of the first Section of the Content of Section of Section of the Content of Section of Section of the Content of Section of Sectio

18 से 27 वर्ष के बीच (भारत[ा] सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथलनीय)." of the beattened Lagrant Learning of Hellis.

- "सीधी भर्ती वाले उम्मीदवासें से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताओं" से संबंधित कॉलम 8 में प्रविध्दि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् graphs of place in a more result of the same
- मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान तथा अंकगणित विषय के रूप में 10+2 उत्तीर्ण (सीनियर ter field Aniget Adest) institution from the expension of the state of the field of were the new principles and the second flatter and the control of the company of the control of

eff. and the second of the sec राष्ट्रीय ट्रेंड प्रमाण पत्र (एनटीसी) मैकेनिक-एवं- ऑपरेटर इलैक्ट्रोनिक सम्प्रेषण सिस्टम 🕬

अंग्रेजी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनदारी। जाकिसीए के प्रार्थित वर्षात्र कार्यात्र स्त्रीतिहरू के ए सीधी भर्ती / समावेशन के माध्यम से चयन किए गए प्रत्याशियों को वायरलैस ए० डब्ल्यू०ओ० (ख) ग्रेड-III पाठ्यक्रम के लिये पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में 9 (नी) मास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए (ग) जाना होगा जिसमें रेडियों सिद्धान्त, रेडियो पद्धति, प्रायोगिक तथा टाइपिंग शामिल हैं। उन्हें अपराध विधि एवं पद्धति, प्रायोगिक पुलिस कार्य, मानवाधिकार आदि के ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इसके अलावा पुलिस आयुक्त, दिक्ली द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित परेड ड्रिल, फायरिंग, निहत्था, युद्ध तथा शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। उन्हें पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो प्रत्याशी प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं करेंगे उनका प्रशिक्षण समय चार माह बढाया जायेगा तथा इस अवधि में उन्हें अनुतीर्ण विषयों को उत्तीर्ण करने के दो अवसर दिए जायेंगे, अनुत्तीर्ण रहने पर केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अंतर्गत उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

प्रत्याशी पूर्ण तथा स्वस्थ, रोग कमी या विकलांगता से मुक्त होगा। (되)

- बेहतर दृष्टि 6/6 चश्मे के बिना/खराब दृष्टि 6/36 चश्मे के साथ सुधार से 6/9 या (3) 6/12 (दोनों ऑखें)। प्रत्याशी रंग अन्धता से मुक्त होना चाहिए।
- TERRITORIST TRANSPORTED BATEST LEEVE पुरुष प्रत्याशी : 170 सें0मीं0। पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात् गोरखा तथा गढवाली प्रत्याशियों के लिये 5 सें0मीं0 तक शिथिलनीय (च) सं0मी0 तक शिथिलनीय महिला प्रत्याशी :157 सें0मी0। पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात् गोरखा तथा गढवाली प्रत्याशियों के लिये
- महिला प्रत्याशा तक सिथिलनीय 5 सेंठमीठ तक शिथिलनीय (छ) सीना पुरुष प्रत्याशी —81—85 सेंठमीठ पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात् गोरखा तथा गढवाली प्रत्याशियों के लिये 5 सेंठमीठ तक शिथिलनीय महिला प्रत्याशी :- लागू नहीं ";
 - (झ) 'क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदीन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी" से संबंधित कॉलम 9 में प्रविध्ट के लिए निम्नलिखित प्रविध्ट को Rules, 2008. प्रतिस्थापित किया जाये हा, अर्थात् :-

(2) They shall come into force with effect fc far inc date of their publication in the Delhi Gazette "परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो" से संबंधित कॉलम 10 में प्रविध्टि के लिये निम्नलिखित प्रविध्टि को Amendment of rule 1748 2.5 ात the Demi Posts - प्राथित क्रिया जायेगा, अर्थात् :- अर्थात् मान्याय प्रतिस्थापित क्रिया जायेगा, अर्थात् :- अर्थात end of the Regrulation Rules for the 17 का managing managing and the the Regrulation Rules for the posteria the

(ट) "मर्ती की पद्धति सीधी मर्ती द्वारा या पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियां से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत' से संबंधित कॉलम 11 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-pmyolot ant Tage entit of the father the Post, the following

"100प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (i) 60प्रतिशत प्रत्याशी बाहरी स्रोतो से (ii) 40प्रतिशक कास्टेबली (कार्यकारी) से भारत सरकार के निदेशों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुए)

e love soon dependent on work-load

नोट - बाहरी प्रत्याशियों तथा विभागीय प्रत्याशियों के लिए प्रवेश परीक्षा समेल होग्निए जा उसी गर्जा (d)

- (ठ) यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है" से संबंधित कॉलम 12 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिरथापित किया जायेगा, अर्थात:-
 - " ग्रेड में 03 वर्षों (तीन) की नियमित सेवा को पूरी करने वाले दिल्ली पुलिस के स्थायी सिपाही में से समावेशन तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (सीनियर सैकेंडरी) पास लेकिन उनकी आयु 30 वर्ष से कम हो, (चयन बोर्ड द्वारा चुने जाने के लिये)";
- यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? से संबंधित कॉलम 13 में प्रविष्टि (**a**) के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"दिल्ली पुलिस (पदोन्नित तथा स्थायीकरण) नियमावली, 1980 के नियम 8 में यथा-उपबंधित वयन बोर्ड"

"वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है" से संबंधित कॉलम 14 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :--

"लाग नहीं"

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल को आदेश से तथा उनके नाम पर. आर. एन. शर्मा, संयुक्त सचिव

HOME POLICE-VESTABLISHMENT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2008

No. F. 13/13/2003/HP-I/Estt./1977. In exercise of the powers conferred by subsections (1) and (2) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 1989, namely:-

Short title commencement

- and 1. (1) These rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2008.
 - (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Amendment of rule 17-B
- In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 1989, in rule 17-B pertaining to the Recruitment Rules for the post in the Communication Cadre in clause (iv):-
- (a) for the entry against column 1, relating to the 'Name of the Post', the following entry shall be substituted, namely:-"Assistant Wireless Operator /Tele-Printer Operator (H.C.).";
- (b) for the entry against column 2, relating to the 'Number of Posts', the following entry shall be substituted, namely:-"1444 (2000;" subject to variation dependent on work-load.";

- (c) for the entry against column 3, relating to the 'Classification', the following entry shall be substituted, namely:
 " Group 'C' (Non-Gazetted) (Technical).";
- (d) for the entry against column 4, relating to the 'Scale of Pay', the following entry shall be substituted, namely:-"3200-85-4900.";
- (e) for the entry against column 5, relating to the 'Whether selection post or non-selection post', the following entry shall be substituted, namely:-

" (i) 'Non-selection' if the post is filled by promotion, and

- (ii) 'Not applicable' when the post is filled through direct recruitment.";
- (f) for the entry against column 6, relating to the 'Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension), Rules, 1972', the following entry shall be substituted, namely:-"Yes.";
- (g) for the entry against column 7, relating to the 'Age limit for direct recruitment', the following entry shall be substituted, namely:-"Between 18 to 27 years, (relaxation as per orders /instructions issued by the Govt. of India from time to time).";
- (h) for the entry against column 8, relating to the 'Educational & other Qualification required for direct recruits, the following entry shall be substituted, namely:-
 - "(a) Passed 10+2 (Senior Secondary) from a recognized Board with Science & Mathematics as subjects.

OR

National Trade Certificate (NTC) in the trade of Mechanic-cum-operator
Electronic Communication System.

While a figure of the state of the

School action in the property of the property of the common state of the common state

Se la Maria Rai la la la

(b) Speed in Typing English 30 words per minute.

Ethic It

(c) The candidates selected through direct recruitment / absorption shall have to undergo 09 (Nine) months training programme at the Police Training College of wireless AWO Grade-III course having Radio Theory, Radio procedure, practical and typing. They will also be given training in knowledge of criminal law and procedure, practical police work, human rights etc. besides parade drill, firing unarmed combat and physical training as prescribed from time to time be the Commissioner of Police, Delhi. They will be required to pass the final examination conducted by the PTC. The training of those who do not pass would be extended by four months and during this period they would be given a maximum of two chances to clear the subjects in which they have failed, failing which their services shall be liable to be terminated under CCS (Temporary Services) Rules, 1965.

(d) The candidate should be of sound health, free from disease, defect or deformity.

(e) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (Both eyes). Candidate should be free from colour blindness. (c) for the entry against column 3, relating to the 'Classification', the Ethiolium' (c) Male candidates: 170 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalles. (admitted) (batters to notif) to quoto Female candidates: 157 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalies. or A minutes tentere vitro orthodox to

(g) Chest:--Male candidates: 81-85 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalies. Female candidates: Not applicable."; "island a nautob tantage value with color (e)

- for the entry against column 9, relating to the 'Whether age & Educational (i) qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promottees, the following entry shall be substituted, namely:-(i) for the entry against solumn 6, relating to the "Whether benefit of addler " No."; service admissible under rule 30 of CGS (Renaion), Rules.
- for the entry against column-10, relating to the 'Period of probation, in any, the (i) following entry shall be substituted, namely:-"Two years.";
- for the entry against column 11, relating to the 'Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/transfer/deputation or percentage of the vacancies to be filled by various methods, the following entry shall be substituted, " 100% by direct recruitment ((i) 60% from the candidates from the open market and (ii) 40% from the Constable (Executive) by giving them age relaxation as per GOI's instructions.) Note:- Entrance Test for outside candidates and departmental candidates shall be Varional Trade Certificate (NTC) in the trade of Mechanic-currioperal/Lames
- contruoication System for the entry against column 12, relating to the 'In case of recruitment by promotion/transfer/deputation/grades from which promotion/ deputation/transfer to (1) be made, the following entry shall be substituted, namely:-"Absorption from confirmed Constable of Delhi Police having completed 03 (three) years regular service in the grade and having passed 10+2 (Senior Secondary) from a recognized Board but below thirty years of age, to be selected by a dilli, taling unarmat connect and physical training as the Selection Board."; time be the Commissioner of Police, Delhit.
- (m) for the entry against column 13, relating to the 'If a DPC exists what is its composition, the following entry shall be substituted, namely:-"Selection Board as provided in Rule 8 of the Delhi Police (Promotion & Confirmation) Rules, 1980."; His Had Red Residues Had Had Beauty and Had Residues H
- (n) for the entry against column 14, relating to the 'Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment, the following entry shall be substituted, deliver eya tit without glastes. Wome continue connecte "Not applicable."; Munife arasiting 2 (seve rito8) asses to booking \$115 to

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, R. N. SHARMA, Jt. Secy. toppe toppe toppe toppe toppe to the first toppe toppe

दिल्ली, 21 अगस्त, 2008

as the street of the market

- सं. फा. 31/66/2007-गृह-III विभाग/658-669.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं0 24/78/68—डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
- संक्रिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को सहायक निदेशक (फिंगर प्रिन्ट) न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती नियमावली, 2008 कहा जाए।
 (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
 - 5. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है याविवाह का अनुबंध करता है; या (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है। वह उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हैं / हैं किसी भी ऐसे चम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- 5. शिथिल करने की शक्ति :-जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अमिलिखित करते हुए आवेश द्वारा व्यक्तियों / पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
- 6. बचाव:— इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तिं के नहीं पड़ेगा।

NAME OF BRIDE SOFT PROPERTY.

THE RESIDENCE AND A PARTY OF PERSON OF

1

अनुसूची न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में, ''सहायक निदेशक

	4		(फिंगर प्रिन्ट)''के पद के	भर्ती नियम		WY MAN
पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर- चयन पद		- सीमा	त्राले उम्मीदवारों के लिए आयु
1	2	3	4	5	6		7
सहायक निदेशक (फिंगर प्रिन्ट)	01 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय	10,000-325- 15,200 रुपये	नहीं	नहीं	द्वारा जारी अ	धिक नहीं (कंन्द्रीय सरकार गदेशों या अनुदेशों के अनुसार वारियों के लिए पांच वर्ष तक
						लिए मान्य र रह रहे उम्मी करने की अ यह असम, मिजोरम, म सिक्किम, र लदर्ख सब- लाहौल व रर्य पांगी सब-डि डीपसमृह व	-सीमा निर्धारित करने के गरीख वहीं होगी जो भारत में दबारों से आवेदन पत्र प्राप्त मेंतिम तिथि होगी, लेकिन मेंबालय, अरुणाचल प्रदेश, गिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू व कश्मीर राज्य का -डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के गेंति जिले तथा चम्बा जिले की वीजन व अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के गं अंतिम तारीख नहीं है।
सीधे भर्ती योग्यताएं	वाले उम्मीदवार	ों से अपेक्षित शैक्षिव	ह तथा अन्य	निर्धारित शैक्षि	वाले उम्मीदवार क योग्यता एवं उ उम्मीदवारों पर भ	शायु सीमा	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
		8		9			10
कं	एस सी स्तर पर रूप सहित किसी भौतिकी या जीव	रसायन या न्यायिक मान्यता प्राप्त विश्ववि विज्ञान या न्यायिक	वद्यालय से रसायन	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्य	ताएँ : नहीं		। वर्ष सोधी भर्ती के लिए
	गित क्षेत्र में विश्त अनुभव।	नेषण पद्धति/अनुसंध	ान में पाँच वर्ष				
टीय 1 :-	- अन्यथा सुयोग्य इद्ध करते हुए संव	उम्मीदवारों के मामर य लोक संवा आयोग					
	श्राथलनीय हैं।						

8

वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

वांछनीय :--

 (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विधा में डॉक्टरेंट डिग्री अथवा समकक्षा

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्ति द्वारा या प्रतिनियुक्तिः/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है

11

मिश्रित पद्धति — प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित)+पदोन्नति जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

मिश्रित पद्धति—प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित)+पदोन्नित कंन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/मान्यताप्राप्त अनुसंघान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्द्ध-शासकीय/स्वायत्त संगठनों के अन्तर्गत अधिकारी

12

- (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले अधिकारी; अधवा
- (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 8000-13,500 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा सहित, या
- (iii) मूल संवर्ग/विभाग में 6500-10,500 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा सहित, या
- (ख) कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ रखने वाले;

8,000-13,500 रुपये के खेतनमान में पाँच वधाँ की नियमित सेवा सहित विभागीय वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फिंगर प्रिन्ट) भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारणीय होंगे तथा यदि वह पद पर नियुक्ति के लिये चुना जाता है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा।

[प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति को अन्तिम तारीखा को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।]

यदि कोई विभागीय पदोन्नित सिमिति हो तो इसकी संरचना क्या है वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।

13 14

'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नित सिमिति (स्थायोकरण पर विचार करने के लिए): आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1. मुख्य सिचव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —अध्यस्थ . प्रथान सिचव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —सदस्य

3. विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —सदस्य

NAME OF THE PERSON ASSESSED.

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, आर. एन. शर्मा, संयुक्त सन्विव

3169 DG 108-2

HOME-III DEPARTMENT NOTIFICATIONS

Delhi, the 21st August, 2008

No. F. 31/66/2007/HOME-III Deptt/658-669.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Finger Print) in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- 1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Assistant Director (Finger Print), Forensic Science Laboratory, Recruitment Rules, 2008.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of posts, elassification and scale of pay- The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.
- 4. Disqualification- No person- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (FINGER PRINT) IN FORENSIC SCIENCE

LABORATORY, GOVT. OF N.C.T. OF DELHI

Assistant Director (Finger Print) **Subject to variation dependent on workload.** **Workload.** **Subject to variation dependent on workload.** **Subject to variation dependent on for december of the subject at least of the closing date for receipt of applications. From candidates of research therein in the relevant field. The variation dependent on the closing date for receipt of applications. From candidates of receipt of applications. And the relevant field. The variation dependent on the closing date for receipt of applications. From candidates of receipt of applications. And the relevant field. The variation of the dissertion of the dissertion of the dissertion of the prescribed for these in Assan, Meghalaya, Arunchal Pradad. Pradash. And the relevant field. The relevant field workless of applications. Are relevable at the dissertion of the dissertion of the dissertion of the dissertion of the practical properties. The relevant field workless of the receipt of applications. Are relevable at the dissertion of the dissertio
Assistant Director (2008) (200
Finger Print) *Subject to variation dependent on workload. **A Gazetted Non- *Subject to variation dependent on workload. **Business of the subject at the instructions of order issued by the Central Government The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications. From candidates in India and not the closing date prescribed for the prescrib
Andaman & sufficient number of Nicobar Islands or Lakshdween communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the

Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption & % of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation /absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Age: No EQs: NO	l year for direct recruits.	Composite Method Deputation (ISTC) Plus Promotion failing which by direct recruitment.	Composite Method – Deputation (ISTC) Plus Promotion: Officers under the Central / State Govts. / UTs / Recognized Research Institutions / Public Sector Undertakings / Semi – Govt. / Autonomous Organizations:-	Group 'A' DPC (for considering confirmation) 1. Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi – Chairman	Consultation with UPSC necessary on each occasion.
			(a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; OR (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.8000-13,500/- or equivalent in the parent cadre / department; OR	2. Principal Secretary (Home), Govt of N.C.T. of Delhi - Member 3. HOD, Govt of NCT of Delhi - Member	
			(iii) With eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500/- or equivalent in the parent cadre / department and b) Possessing the educational and other qualifications prescribed for direct		
			recruits under column No. 8. (The departmental Senior Scientific Officer (Finger Print) with 05 years regular service in the pay scale of Rs. 8000-13500/- shall also be consideration along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall deemed to have been filled by promotion.		
			(Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)		
			(Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt		

- सं. फा. 31/67/2007-गृह-III विभाग/670-681.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितन्बर, 1968 की अधिसूचना सं० 24/78/68—डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फिगंर प्रिन्ट)" के पद पर भर्ती की पद्धित को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
 - संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फिंगर प्रिन्ट) न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती नियमावली, 2008 कहा जाए।
 (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
 - पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
 - भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताए एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
 - 4. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है याविवाह का अनुबंध करता है; या (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है। वह उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों / पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
- 6. बचाव:- इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यवितों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रमाय नहीं पड़ेगा।

अनुसूची न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में, ''वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान ह)" के पद के क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्टता या गैर-चयन पद		सीधी भर्ती - सीमा	वाले उम्मीदवारों के लिए आर्
1	2	3	4	5	6		7
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फिंगर प्रिन्ट)	01*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय	8,000-275- 13,500 रुपये	गैर-चयन		द्वारा जारी उ सरकारी कर्म शिथिलनीय)	
196)					Tarp minde	लिए मान्य र रह रहे उन्में करने की उ यह असम, मिजारम, द सिक्किम,	मुसीमा निर्धारित करने के गरीख वहीं होंगी जो भारत में दिवारों से आवेदन पत्र प्राप्त भेतिम तिथि होगी, लेकिन मेंघालय, अरुणाचल प्रदेश, गिंगपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू व कश्मीर राज्य का -डिक्येजन, हिमाचल प्रदेश के
with the state of				10 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31		पांगी सब-डि द्रीपसमूह व	ाति जिले तथा चम्बा जिले की वीजन व अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के अंतिम तारीख नहीं है।
सीधे मती योग्यताएं	वालं उम्मीदवारों	से अपेक्षित शैक्षिक	तथा अन्य	निर्धारित शैक्षिक	वाले उम्मीदवारों योग्यता एवं आ म्मीदवारों पर भी	यु सीमा	परियोधा की अवधि, यदि कोई हो
	FAR NA	8		9			10
केर	(स.सी. स्तर पर र ९५ सहित किसी । गैतिको या जीव ।	सायन या न्यायिक है मन्यताप्राप्त विश्ववित्र विज्ञान या न्यायिक हि	पालय से रसायन	आयु : नहीं शैर्धाणक योग्यत	n(: zř		। वर्ष सीधी भर्ती द्वारा एवं पदोन्ति के लिये
ii) सुसंग		षण पद्धति/अनुसंधाः	न में जीन वर्ष				
टीप 1 :— अभिलेखबर	अन्यथा सुयोग्य र	प्रम्पोदवारों के मामले लोक सेवा आयोग	में कारणों को के विवेक पर				
डीप 2 :— प्रायोग को	यदि चयन की 1 अभिमत से अन	किसी अवस्था में स सृचित जाति/जनजा	ध लोक सेवा त्यों के लिए	1			

8

वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

वांछनीय :-

 किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विधा में डॉक्टरेट डिग्री अथवा समकक्ष।

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत

यदि पदोन्तति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है

all the way bare high risk seems view

Officer (Plague Print) in Marchine

मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सर्विदा सम्मिलित) + पदोन्नति जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

nerth state of party metallines

lament (2) to (4) to 1 cost street the

Burling of Tear, and intilling

the over Department and prove

12

मिश्रित पद्धति—प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सुविदा सम्मिलित)+पदोन्नित केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ड-शासकीय/स्वायत्त संगठनों के अन्तर्गत अधिकारी : sa todougo our eyen to alone buse

- (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले अधिकारी; अथवा
- (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 6500—10,500 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित; या
- (iii) मूल संवर्ग/विभाग में 5500—9,000 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा सहित; या
- (ख) कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ रखने वाले;

5500-9,000 रुपये के वेतनमान में आउ वर्षों की नियमित सेवा सहित विभागीय वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फिंगर प्रिन्ट) भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारणीय होंगे तथा यदि वह पद पर नियुक्ति के लिये चुना जाता है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा ।

[प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।]

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?

वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामशं लिया जाना है ।

13

Green and Delivering 11

14

'क' वर्गीय विभागीय पदोन्तित समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए):

प्रत्येक अवसर पर पद की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

अध्यक्ष

 प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

सदस्य

विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

सदस्य

संष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यणल के आदेश से तथा उनके नाम पर आर. एन. शर्मा, संयुक्त सचिव

No. F. 31/67/2007/HOME-III Deptt./670-681.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Scientific Officer (Finger Print) in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- Short title and commencement- (1) These rules may be called the Senior Scientific Officer (Finger Print), Forensic Science Laboratory, Recruitment Rules, 2008.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of posts, classification and scale of pay. The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.
- 4. Disqualification- No person- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SENIOR SCIENTIFIC OFFICER (FINGER PRINT) IN FORENSIC SCIENCE LABORATORY, GOVT. OF N.C.T. OF DELHI


Name of post	No. of Post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection or Non – Selection Post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications required for direct recruits
Senior Scientific Officer (Finger Print)	2 O1* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'A' Gazetted Non- Ministerial	8000-275- 13500	N.A.	6 No	Not exceeding 35 years. Relaxable for government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District or Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep.	Essential: 1) Master's degree in Chemistry or Physics or Biological Science or Forensic Science with Chemistry or Forensic Science as one of the subject at B.Sc. level from a recognized University or equivalent II) 3 years experience of analytical methods / research therein in the relevant field. Note-I: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualification (s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience
			140			· Solution	are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
11111 B			4 1 1 4		-VAR	3	Desirable:
	B	THE SHE CLEEK AT IN STELLAND		1101			Doctorate degree in concerned discipline from a recognized University or equivalent.

3169 DG/08-3

Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption & % of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation /absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making recruitment
9	10	- 11	12	13	14
Age: No BQs: Yes	1 year for direct recruits & promotees.	Composite Method – Deputation (ISTC) Plus Promotion falling which by direct recruitment	Composite Method — Deputation (ISTC) Plus Promotion Officers under the Central / State Govts. / UTs / Recognized Research Institutions / Public Sector Undertakings / Semi — Govt. / Autonomous Organizations:- (a)(i) Holding analogous posts on regular	Group 'A' DPC (for considering confirmation) 1. Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi — Chairman	Consultation with UPSC is necessary for appointment to the post on each occasion.
			basis in the parent cadre / department; OR	2. Principal Secretary (Home), Govt. of N.C.T. of Delhi - Member	7
			(ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.6500-10500/- or equivalent in the parent cadre / department, OR	3. HOD, Govt. of NCT of Delhi - Member	\
			(iii) With eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000/- or equivalent in the parent cadre / department and		
			b) Possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column No. 8.		
			The Departmental Senior Scientific Assistant (Finger Print) with 08 years regular service in the pay scale of Rs. 5500-9000/- shall also be consideration along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the		
			same shall deemed to have been filled by promotion.		
			(Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)		

भूमि व भवन विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 21 अगस्त, 2008



यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ.11(44)/06/भूव म./भू.अ./7535 दिनांक 22.08.2007 के द्वारा जारी की जा चुकी है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर-पश्चिम) को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर-पश्चिम) के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)	खसरा नं0	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
बवाना	11-15	125// 5	4-16
		125// 6	4-16
		125//15	2-03

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राजयपाल के आदेश तथा नाम पर, जी. एस. मीणा, अतिरिक्त सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2008

No. F. 11(44)/06/L&B/LA/6227.—Whereas the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for development of Narela Bawana Phase-II under Planned Development of Delhi. It is hereby notified that the land in the locality described below is required for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, in respect of the land notified U/s 4 of L.A. Act, 1894 vide Notification No. F.11(44)/06/L&B/LA/7535 dated 22.08.2007to all whom it may concern. Under the provisions of Section 7, of the said Act, the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land:

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (North-West) Delhi.

SPECIFICATION

V ILLAGE	TOTAL AREA	KHASRA NO.	AREA (BIGHA-BISWA)
BAWANA	(BIGHA-BISWA) 11-15	125// 5 125// 6	4-16 4-16
N H P S		125// 15	2-03

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, G.S. MEENA, Addl. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग अधिसूचना दिल्ली, 21 अगस्त, 2008

सं. फा. 111/125/टी एण्ड टी/प्रशा./2008/भाग-1/1260.—दिल्ली भूल्य सर्वार्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 86 की उपधारा (2) के खड (क) के साथ पिटत दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम 47 के दारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते तुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपशासन में सहायता करने के लिए संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं, अर्थात:-

Intelligiti Origina.		
क्रम र io	अधिकारी का नाम (औ) श्रीमती/कु०स्त्र्शी)	पढनाम
1, 2. 3.	रमा शंकर प्रसाद राम कुमार अग्रवाल के०एस० शर्मा	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी मूल्य संवर्धित कर अधिकारी मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, अर्चना अरोडा, विशेष सर्विव

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2008

No. F. III/125/T&T/Estt./2008/Pt-I/1260.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with immediate effect, to assist the Commissioner of Value Added Tax, Covernment of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:

S.No.	Name of the Officer (Sh/Smt/Km)	Appointed as
1.	Rama Shankar Prasad	Value Added Tax Officer
2.	Ram Kumar Aggarwal	Value Added Tax Officer
3.	K.S. Sharma	Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, ARCHNA ARORA, Spl. Secy.

परिवहन विभाग अधिसूचना दिल्ली, 21 अगस्त, 2008

स. फा. 21(74)/सैक्रंटरा/एस.टॉ.ए./2001/245.— मोटर वाहन, अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 89 की उपधारा (2), धारा 2 के खंड 41 के साथ पठित में प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, माननीय उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सहर्ष, राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण का, श्री तलवन्त सिंह, पीठासीन अधिकारी, दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, सिंहत तत्काल प्रभाव से, सम्पूर्ण राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए गठन करते हैं।

साट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्लों के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, आर. के. वर्मा, सचिव एवं आयुक्त

18 Toronto (m) of shifts made field almost) harty-

TRANSPORT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2008

No. F. 21(74)/Secy/STA/2001/245.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 89 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute State Transport Appellate Tribunal for the National Capital Territory of Delhi, consisting of Shri Talwant Singh, Presiding Officer, Delhi School Tribunal, Government of National Capital Territory of Delhi, with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, R. K. VERMA, Secy.-cum-Commissioner

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अधिसूचना दिल्ली, 21 अगस्त, 2008

सं. एफ. 35/अनुदेशक (एवीटीएस)/प्रशिक्षण प्रशा./2006/641.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई 1959 की अध्यसूचना सं0फा0 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल इसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग का पूर्व परामर्श के पश्चात :—

- इसके साथ संलग्न अनुसूची में इस सरकार के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुदेशक (एडवांस व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धित) के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती पद्धित तथा आवश्यक योग्यताओं से संबंधित नियम बनाते हैं: तथा
- 2. दिनांक 05.09.1984 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 05.09.1984 की अधिसूचना सं फा. 2(23)/83—सेवाएं—2 द्वारा अधिसूचित इस सरकार के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अनुदेशक (एवीटीएस) के पदों के संबंधित मर्ती नियमों (अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी/मैकेनिकल रखरखाव/इलैक्ट्रिकल रखरखाव/मैकेनिकल आटोमोदाईल में प्रवेश) को निरस्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, मुकेश प्रसाद, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-1

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली में अनुदेशक (एडवांस व्यवसायिक प्रशिक्षण पद्धति) के पदों के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर- चयन पद	क्या के.सि.सं. (पेंशन नियमा- वली के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ प्राह्य हैं	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
- 1	2	3	4	5	6	7
	04*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समृह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय	6500-200- 10,500 हपर्ये	चयन	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं कंन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश/अनुदेशों के अनुसार सरकारों कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय आयु—सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वहीं होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लें किन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिविकम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लदराख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिले तथा चम्बा जिले को पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित ऑतम तारीख नहीं है।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं

8

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्तति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।

परिवाक्षा की अवधि, यदि कोई हो

अनिवार्य :

मन्यताप्राप्त बोर्ड/ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित संस्थान

से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या समकक्ष ।

2. सुसंगत क्षेत्र में 5 वर्ष का औद्योगिक/शिक्षण का अनुभव नोट : क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव दोनों के संबंध में सही विद्या प्रत्येक भर्तों के समय अधिसूचित को जायेगी । नोट (i) अभ्यर्थी के अन्यथा सुयोग्य होने पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विवेक पर योग्यताएं लिखित रूप से अभिलेखबद्ध लिए गए कारणों पर शिथिलनीय । नोट (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी की स्थित में अनुभव संबंधी योग्यताएं लिखित कारणों से अभिलेखबद्ध किए जाने पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हारा शिथिलनीय यदि चयन के किसी स्तर पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की राय है कि इस समुदाय से

आयु : नहीं योग्यताएं : हों 10 दो वर्ष

8	
अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों का इनके लिए आरक्षित पर्दों को भरने हेतु पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना संभव नहीं है ।	
भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदीन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनर पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
tt.	12
50 प्रतिशत पदोन्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नितः— (कः) 4,500-7,000 रु. को वेतनमान में, इस ग्रेड में 8 वर्षों की अर्हक सेवा सहित कुशल कामगार (एवोटीएस) ।
	नोट :— जहाँ ऐसे किनष्ठ कर्मचारियों पर जो अहंक/पात्र सेवा पूरी कर चुके हैं, विचार किया जा रहा है उनके विश्व अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अहंक/पात्र सेवा इस अहंक/पात्र सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भो कम हो से स्यूनतम नहीं होनी चाहिए तथा उन्होंने अपनी पेरिवोक्षा अवधि को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पूरा कर लिया हो, अपने या उन किनष्ठ कर्मचारियों के साथ विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले हो यह अहंक/पात्र सेवा पूरी कर ली हो।
यदि कोई विभागीय पदोन्तित समिति हो तो इसकी संरचना क्या	। है ? वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।
13	14
समूह— "ख" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/स्थायीकरण के लिए)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं ।
1. वित्त आयुवत	- अध्यक्ष
2. विभाग का प्रशासनिक सचिव -	- सदस्य
3. उप सचिव सेवा -	- सदस्य
4. अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का एक अधिकारी जो	
ए.डी.एम./उप सचिव, दिल्ली सरकार के पद से कम न हो -	सदस्य

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2008

No. F. 35/Instructor (AVTS)/Trg. Admn./2006/641.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F27/59/-Him (i) dated the 13th July 1959, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission is pleased to:

- make the rules in the Schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the posts of Instructor (Advanced Vocational Training System) under the Directorate of Training & Technical Education of this Government, and
- to cancel the recruitment rules relating to the posts Instructor (AVTS) (Induction to Engg. Technology/ Mechanical Maintenance/ Electrical Maintenance/ Mechanical Automobile) under the Directorate of Training & Technical Education of this Government notified vide notification No. F.2(23)/83-S.II Dated 05.09.1984 published in Delhi Gazette dated 05.09.1984.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, MUKESH PRASAD, Jt. Secy. ANNEXURE - 1

Recruitment Rules for the post of Instructor (Advanced Vocational Training System) in the Department of Training & Technical Education, Delhi

Educational and other qualifications required for direct recruitment.		Essential: i) Diploma or equivalent in Engg. / Technology from recognized board / university / institutions approved by AICTE. ii) Five years industrial / teaching experience in the relevant field.	Note: The exact discipline both in respect of educational qualification and experience in the area will be notified at the time of each recruitment. Note: (i) Qualifications are relaxable at the discretion of the DSSSB for reasons to be recorded in writing. In case of candidates other wise well qualified. Note: (ii) The qualification(s) regarding experience islare relaxable at the discretion of the DSSSB for reasons to be recorded in writing. In case candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection the DSSSB is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
Age Limit (For direct recruitment)	7	Not exceeding 30 Years Relaxable for Govt. Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government	The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunchal Pradesh, Mixoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Spangi Sub Division of Chamba solistrict of Himachal Pradesh, chadaman & Nicobar Islands of e Lakshdweep.
Whether benefit of added year of service admissible	9		Ŷ
Whether selection post or Non- selection post	5		Selection
Scale of Pay (Rs.)	4		6500 - 200 - 10500
Classification	73		General Central Service, Group- B Non- Gazetted Non- Ministerial
NO. OF POSIS	,		* (2008) Subject to variation dependent on workload
bost			Instructor (Advanced Vocational Training System)

which UPSC is to be consulted in making recruitment.		mj : rman. ber Lonsultation with ther UPSC not necessary
13	- Section 2	Group "B" DPC (For considering promotion / confirmation] : 1. Financial Commissioner 2. Administrative Secretary of the Department : Member 3. Deputy Secretary (Services) 4. An Officer belonging to SC/ST community not below the rank ADM/Dy. Secretary in Govt. of : Member NCT of Delhi
In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	12	Skilled workers (AVTS) in the scale of pay of Rs. 4500 – 7000 with eight years' qualifying service in the grade note: Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility services or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation have successfully completed their probation alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service
Recruitment, whether by Direct or by Promotion or by Deputation Absorption and %age of vacancies to be filled by various methods	#	50 % Promotion failing which by Direct Recruitment 50 % Direct Recruitment
Period of probation, If any	10	Two years
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	60	Age-No Qualification: Yes

Printed by the Manager, Govt. of India Press Ring, Road, Mayapan, New Delhi-110061 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054